

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1434
26 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु चार्जिंग स्टेशन

1434. श्रीमती किरण खेर:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण योजना (फ्रेम इंडिया-11) योजना और राष्ट्रीय ऑटो नीति के क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं;
- (ख) क्या इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पंजाब और चंडीगढ़ सहित देश में कोई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या वर्तमान में निजी कंपनियां भारत में "चार्जिंग स्टेशन" स्थापित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि विद्युत की बिक्री हेतु लाइसेंस लेना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया), चरण-II में सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने और बाजार सृजन तथा मांग समेकन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इस स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग उद्योग के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है जिसमें चार्जिंग अवसंरचना प्रदान करना और अधिक से अधिक स्वदेशीकरण पर जोर देना शामिल हैं। फेम-II का लक्ष्य 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहिया वाहनों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय मोटर वाहन नीति का एक मसौदा तैयार किया है और इसे भारी उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट (www.heavyindustries.gov.in) पर डाला गया है। मसौदा नीति समग्र प्रकृति की है और ऑटो मिशन योजना 2016-26 के उद्देश्यों को पूरा करने में मोटर वाहन उद्योग के अनुकूल है।

(ख): भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया स्कीम चरण-I के तहत 520 चार्जिंग स्टेशनों/अवसंरचना को मंजूरी दी थी। इसके अलावा, इस मंत्रालय ने फेम इंडिया स्कीम चरण-II के तहत 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों, 9 एक्सप्रेसवे और 16 हाईवे पर 1576 चार्जिंग स्टेशनों को भी मंजूरी दी है। 15 जुलाई, 2022 की स्थिति के अनुसार फेम इंडिया स्कीम, चरण-I और II के तहत कुल 532 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं (फेम-I के अंतर्गत 479 और फेम-II के तहत 53)। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सूचित किया है कि 01.07.2022 की स्थिति के अनुसार तेल विपणन कंपनियां अपने खुदरा बिक्री केंद्रों पर 3448 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर चुकी हैं। विवरण **अनुलग्नक-क** में है।

(ग): जी नहीं। विद्युत मंत्रालय ने 14.01.2022 को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना संबंधी संशोधित समेकित दिशानिर्देश और मानक जारी किए हैं और यह स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति/संस्था सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते ऐसे स्टेशन विद्युत मंत्रालय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट तकनीकी, सुरक्षा के साथ-साथ प्रदर्शन मानकों और प्रोटोकॉल और मानदंडों/मानकों/विनिर्देशों को पूरा करते हों।

(घ): इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना में सुविधा के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कार्रवाई की है:

i. **फेम-इंडिया स्कीम:** भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम-इंडिया स्कीम, चरण-II शुरू किया है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना हेतु 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

ii. **ग्रिड कनेक्टिविटी और सुरक्षा नियम:** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने चार्जिंग स्टेशनों के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी और आपूर्ति सुरक्षा के तकनीकी मानकों संबंधी विनियमों में संशोधन जारी किए हैं।

iii. **दिशा-निर्देश और मानक:** विद्युत मंत्रालय ने 14.01.2022 को अपने पत्रांक 12/2/2018-EV(compNo.244347) के माध्यम से चार्जिंग अवसंरचना के लिए संशोधित समेकित दिशानिर्देश और मानक जारी किए गए हैं।

iv. **केंद्रीय नोडल एजेंसी:** 01.10.2019 को जारी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में चुना गया है।

v. **गो इलेक्ट्रिक अभियान:** विद्युत मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और नीति आयोग के साथ दिनांक 19.02.2021 को आम जनता को ई-मोबिलिटी के लाभ के बारे में शिक्षित करने, संभावित इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण के लिए सरकारी प्रोत्साहन से अवगत कराने, जिज्ञासा पैदा करने और इसे मांग में बदलने के लिए राष्ट्रव्यापी "गो इलेक्ट्रिक" अभियान आरंभ किया है।

अनुलग्नक-क

तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपने खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओ) पर संचालित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (01.07.2022 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या जहां इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा उपलब्ध है
अंडमान और निकोबार	2
आंध्र प्रदेश	191
अरुणाचल प्रदेश	9
असम	61
बिहार	87
चंडीगढ़	14
छत्तीसगढ़	115
दिल्ली	75
गोवा	31
गुजरात	219
हरियाणा	199
हिमाचल प्रदेश	33
झारखंड	47
जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	26
कर्नाटक	250
केरल	102
लक्षद्वीप	1
मध्य प्रदेश	242
महाराष्ट्र	183
मणिपुर	16
मेघालय	8
नागालैंड	6
उड़ीसा	118
पुदुचेरी	3
पंजाब	125
राजस्थान	281
तमिलनाडु	235
तेलंगाना	224
त्रिपुरा	16
दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	1
उत्तर प्रदेश	308
उत्तराखंड	43

पश्चिम बंगाल	177
कुल योग	3448

फेम-I के तहत प्रचालनरत चार्जिंग स्टेशन:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	फेम-I के तहत प्रचालनरत चार्जिंग स्टेशन
1.	तेलंगाना	57
2.	झारखंड	30
3.	गोवा	30
4.	कर्नाटक	65
5.	हिमाचल प्रदेश	9
6.	उत्तर प्रदेश	16
7.	राजस्थान	49
8.	दिल्ली	94
9.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	48
10.	दिल्ली-जयपुर-आगरा राजमार्ग	31
1 11	मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे	17
12.	जयपुर-दिल्ली राजमार्ग	9
13.	दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग	24
कुल		479

फेम-II के तहत प्रचालनरत चार्जिंग स्टेशन:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर	फेम-II के तहत प्रचालनरत चार्जिंग स्टेशन
1	दिल्ली	दिल्ली	15
2	महाराष्ट्र	नवी मुंबई	1
3		नागपुर	7
4	तमिलनाडु	चेन्नई	8
5	केरल	त्रिशूर	8
6		एर्नाकुलम	6
7		कन्नूर	2
8	गुजरात	अहमदाबाद	2
9	कर्नाटक	बेंगलूरु	1
10	मध्य प्रदेश	इंदौर	2
1 1	राजस्थान	जयपुर	1
कुल			53
